

राजस्थान आवासन मण्डल :: जयपुर

क्रमांक:-पा(1)कार्मिक / निजी.चिकि. / 31/2014-15/690

दिनांक:- ५/६/१५

—:: कार्यालय—आदेश ::—

राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड चिकित्सा विनियम 1970 के अन्तर्गत हाऊसिंग बोर्ड कार्मिकों की चिकित्सा सुविधाओं में विरतार करते हुये निम्नलिखित निजी चिकित्सालयों को मण्डल द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के साथ चिकित्सा उपयोग हेतु भावाता ही जाती है :—

संख्या	चिकित्सालय का नाम व पता	दूरभाष/मोबाइल नम्बर	मण्डल कार्मिकों को देय छूट
1.	सुदीप डेन्टल एण्ड किड्स क्लिनिक (Sudeep's Dental & Kids Clinic), लाल-17, जयहर नगर, एमपीएस के पास जयपुर-04।	9602425993	25% छूट नियत दरों पर
2.	एकड़न्ट डेन्टल केयर, लाल-2, हवा सड़क, आईएस डेंटल्स के सामने, सोडाला, जयपुर।	9950754064	20% कुल देय बिल पर
3.	सेंटर पार साईट, 34, 35 मालवीय नगर मेन रोड, प्रधान मार्ग पेट्रोल पम्प के सामने, जयपुर।	0141-4010713, 2525524 2525724 2525824	10% परामर्श शुल्क पर ओपीडी छूट— 10% समस्त CFS tariff पर (दवाईया, कन्यूमेबल को छोड़कर) आईपीडी छूट— 10% समस्त CFS tariff पर (लैन्स, दवाईया एवं कन्यूमेबल्स को छोड़कर) 10% लेसिक सर्जरी पर (दवाईया, कन्यूमेबल को छोड़कर)
4.	आभा डेन्टल क्लिनिक, एस-76, बरकत नगर चौराहा, महेश नगर फाटक के पास, जयपुर-15।	0141-2594898 / 9829604561	20% नियत दरों पर
5.	अंशु डेन्टल केयर, बी-209, राजेन्द्र मार्ग, बापू नगर, जयपुर।	0141-2710801	25% छूट समस्त चिकित्सा एवं जांच कार्यों पर
6.	बागडा मेट्रनिटी एण्ड जनरल हॉस्पिटल साईपुरा बाईपास, डिग्गी रोड, मदरामपुरा, सांगनेर, जयपुर।	0141-2178410 / 9828688021	10% कुल देय बिल पर (दवाईयां छोड़कर)
7.	मैक्सवेल हॉस्पिटल, खंडाका मैरिज गार्डन के सामने, झोटवाडा रोड, जयपुर।	0141-2283638	—

उक्त आदेश को माननीय अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है तथा संचालक मण्डल के अनुमोदन की पूर्व अपेक्षा में जारी किया जाता है।

—८०—
(दिनेश कुमार पंवार)
सचिव